

निगरानी प्र. कमांक— /2013  
प्रस्तुत दिनांक 12/06/2013

न्यायालय—रा. रा. माननीय राजस्व मंडल महोदय, राजस्व न्यायालय, गवालियर (म.प्र.) के समक्ष

श्रीमती राधाबाई पिता श्री काशीराम,  
पति श्री हेमसिंह

R- 2571-PBM<sup>3</sup> आग. वरारान, धंधा—गृहकार्य,  
निवासी—ग्राम बड़ी कड़ोदकला  
तहसील बदनावर जिला धार (म.प्र.)

निगरानी प्र. कमांक 12/06/2013  
प्राप्ति/अभिभाषण इति दिनांक 12/6/13  
को प्रस्तुत  
421/12.6.13

आवेदक / प्रार्थी

विरुद्ध

- आदिकर कार्य  
दृष्टि के छात  
6/6/13  
366-13
1. रबी पिता काशीराम
  2. नारायण पिता काशीराम अज्ञान पालनकर्ता  
माता सौरमबाई कथित दूसरी पत्नी काशीराम
  3. सौरमबाई कथित दूसरी पत्नी काशीराम कलौता  
तीनो निवासी—ग्राम कड़ोदकला तह. बदनावर जिला धार
  4. सायरबाई पिता काशीराम पति फुलसिंह  
निवासी—ग्राम बिरगोदा तहसील देपालपुर जिला इन्दौर
  5. शिवकांतबाई पिता काशीराम पति भारतसिंग कलौता  
निवासी—58/4 साउथ गाड़राखेड़ी इन्दौर
  6. धापूबाई विधवा काशीराम जाति कलौता  
निवासी—ग्राम कड़ोदकला तह. बदनावर जिला धार  
निवासी—सदर।

.....अनावेदकगण / प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मोप्र० भू—राजस्व संहिता 1959

आवेदक / प्रार्थी की ओर से यह निगरानी निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत  
है कि —

अविरत..... ?

-2-

यह निगरानी माननीय अधीक्षस्थ न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व क्षेत्र बदनावर जिला धार के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रकरण क्रमांक-20/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 30.4.2013 से व्यथित होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर श्रीमान के प्रस्तुत हैं।

R 2571-पूर्व/१३

18.4.2017

उमेय पश्चीमी ओर्डर  
आज की घोषी पुस्तकालय  
नहीं। प्रियदर्शी प्रेसी प्रा. आवेदन  
के उत्तराभास्क द्वारा आवेदन का  
प्रबुत्त की गयी नहीं चलाने का  
अनुमति किया था। अनुमति  
संकार किया जाता है। प्रबुत्त  
नहीं चलाने के कारण समाप्त  
किया जाता है।

आधिकारी

अधिकारी